प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

फैसला सुरक्षित रखा गयाः 18.03.2021

फैसला सुनाया गयाः 19.05.2021

एमएसी नंबर 934 वर्ष 2014

अपडेटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 2/302/ए.यू.डी.एस. सलाई, पुराना महाबलीपुरम रोड, थोरईपक्कम, चेन्नई 600097

--- अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. मृतक (हुमायु कबीर) की कानूनी प्रतिनिधि रेहाना बीबी, पत्नी अशरफ उल, उम्र लगभग 54 वर्ष
2. अशरफ उल, पुत्र मुस्लिम, उम्र करीब 54 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम पोस्ट महाराजपुर, थाना रौता, जिला मालदा (पश्चिम बंगाल)

--- प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए	:	श्रीमती रेनु कोचर अधिवक्ता।
उत्तरदातागण के लिए	:	श्री जी.आर. मिरी अधिवक्ता।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

सीएवी निर्णय

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू,

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (संक्षेप में '1923 का अधिनियम') की धारा 30 के तहत दायर इस अपील में चुनौती, कर्मचारी प्रतिकर-सह-श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार के आयुक्त (संक्षेप में 'आयुक्त') द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/ईसी अधिनियम, घातक/2014 में दिनांक 4.6.2014 को पारित आदेश को लेकर है, जिसके तहत मुआवजे की राशि का 50% जुर्माना लगाया गया था और दुर्घटना की तारीख से देय मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया गया था।

2. इस अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि हुमायू कबीर (मृतक), उम्र लगभग 22 वर्ष, अपीलार्थी के अधीन कार्यरत था। उसे अपीलार्थी ने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिलासपुर में नियुक्त किया था। दिनांक 18.6.2013 को साइट पर फिटर के रूप में काम करते समय अर्थात ग्राम मोपका, पुलिस स्टेशन भाटापारा, जिला बलौदाबाजार के पास, हुमायू कबीर बिजली का झटका लगने के कारण ऊंचाई से नीचे गिर गया और दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे भाटापारा के निकटतम अस्पताल ले जाया गया जहां आकस्मिक चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद, अपीलार्थी ने मुआवजे की राशि 8,85,480/- रुपये के रूप में गणना की तथा एक्सिस बैंक से दिनांक 30.8.2013 का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया और उसे आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर-सह-श्रम न्यायालय क्रमांक 1, रायपुर के न्यायालय में जमा करने के लिए भेजा। आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर-सह-श्रम न्यायालय क्रमांक 1, रायपुर ने दिनांक 7.10.2013 के पत्र द्वारा डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र में दुर्घटना स्थल, मृतक के कानूनी वारिस आदि का विवरण नहीं दिया गया है तथा डिमांड ड्राफ्ट के साथ आयुक्त को वापस प्रेषित किया गया है। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत रायपुर में दो आयुक्त हैं अर्थात न्यायालय 1 और 2, दोनों आयुक्तों के बैंक खाते अलग-अलग हैं, जब तक कि विशिष्ट विवरण का उल्लेख नहीं किया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. तत्पश्चात दिनांक 11.2.2014 को अपीलार्थी ने पुनः मुआवजे की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराया तथा आयुक्त के पास जमा कराया। डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने पर आयुक्त ने मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को मुआवजे की राशि वितरित करने के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की; अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा कि मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा मुआवजे की राशि का 50% अर्थदंड क्यों न लगाया जाए। अपीलार्थी ने दुर्घटना के तरीके तथा दिनांक के संबंध में तथ्यों तथा घटनाओं का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया, दुर्घटना की सूचना आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर, रायपुर को दिनांक 25.6.2013 को दी गई; डिमांड ड्राफ्ट 30.8.2013 को तैयार कर आरपीएडी द्वारा आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर, रायपुर को भेजा गया। आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, रायपुर ने पत्र दिनांक 7.10.2013 द्वारा इसे वापस कर दिया और इसके बाद आयुक्त के समक्ष प्रतिकर की राशि का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।

4. आयुक्त ने दिनांक 4.6.2014 को दो अलग-अलग आदेश पारित किए, एक अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई मुआवज़े की राशि के वितरण के लिए, दूसरा दुर्घटना की तारीख से वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान और मुआवज़े की राशि का 50% जुर्माना लगाने के लिए। आयुक्त द्वारा ब्याज देने और जुर्माना लगाने के आदेश को ही अपीलकर्ता ने इस अपील में चुनौती दी है।

5. यह अपील दिनांक 14.3.2016 को विचारार्थ स्वीकार की गई तथा उसी दिन, जहां तक दंड लगाने से संबंधित है, विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी गई। अपीलकर्ता ने विचारार्थ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तैयार किए हैं:-

> "क्या आयुक्त द्वारा समय पर मुआवजा जमा न करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिए गए उचित कारण को न समझना उचित था तथा दुर्घटना की तिथि से 50% मुआवजा राशि जुर्माना के रूप में तथा उस पर 12% ब्याज अदा करने का आदेश पारित कर त्रुटि की गई ?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना की जानकारी होने के पश्चात, मृतक के नियुक्तिकर्ता होने के नाते अपीलार्थी ने आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर-सह-श्रम न्यायालय-1, रायपुर को यह मानते हुए सूचित किया कि दुर्घटना का स्थान उसके क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि वर्ष 2012 से पूर्व बलौदाबाजार भी जिला रायपुर का भाग था। उन्होंने आगे बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने तथा प्रतिकर की राशि की गणना करने के पश्चात, अपीलार्थी ने दिनांक 30.8.2013 को 8,85,480/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराया तथा तत्काल आयुक्त-सह-श्रम न्यायालय-1, रायपुर के न्यायालय को सद्भावपूर्वक अग्रेषित किया, जिसे दिनांक 7.10.2013 के कवरिंग पत्र द्वारा अपीलार्थी को वापस कर दिया गया। दुर्घटना के स्थान के आधार पर आयुक्त के क्षेत्राधिकार के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के पश्चात, अपीलार्थी ने पुनः डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराया तथा आयुक्त को भेजा, जिसे आयुक्त ने दिनांक 11.2.2014 को प्राप्त किया। उन्होंने दलील दी कि मुआवजे की राशि की गणना करने और उसे जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है। कमिश्नर-कम-लेबर कोर्ट-1, रायपुर के समक्ष डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के संबंध में जो त्रुटि हुई है, वह सदभाविक त्रुटि है और यह

जानबूझकर नहीं की गई थी। उन्होंने आगे दलील दी कि ऐसा नहीं है कि दुर्घटना के बाद अपीलकर्ता ने जानबूझकर मुआवजे की राशि की गणना या जमा नहीं की थी और इसे मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा 1923 के अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने और क्षेत्राधिकार वाले कमिश्नर के न्यायालय द्वारा मुआवजे का फैसला सुनाए जाने के बाद ही जमा किया गया था। उन्होंने दलील दी कि कमिश्नर ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है, खासकर इस तथ्य पर कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से मुआवजे की राशि की गणना की और उसे जमा किया था। उन्होंने दलील दी कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, मुआवजे की राशि का 50% जुर्माना और दुर्घटना की तारीख से 12% की दर से ब्याज देना उचित नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गोविंद राम मिरी ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की तिथि 18.6.2013 है तथा क्षतिपूर्ति की राशि दिनांक 14.2.2014 को आयुक्त-सह-श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार के सक्षम न्यायालय में जमा की गई। अपीलकर्ता की ओर से क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने में विलम्ब हुआ है। अधिनियम 1923 की धारा 4-ए के अनुसार नियुक्तिकर्ता को दुर्घटना की तिथि से 30 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि जमा करनी होती है, जिसके लिए पीड़ित अथवा पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी हकदार हैं। अपीलकर्ता ने क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की तथा बिना ब्याज के विलम्ब से जमा की। आयुक्त द्वारा दुर्घटना की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना तथा क्षतिपूर्ति की राशि का 50% अर्थदण्ड लगाना उचित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. यह निर्विवाद तथ्य है कि दुर्घटना के बाद, मृतक के नियुक्तिकर्ता होने के नाते अपीलकर्ता ने मुआवजे की राशि की गणना की थी और मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू किए बिना उसे आयुक्त के पास जमा कर दिया था। आयुक्त ने अपीलकर्ता द्वारा की गई मुआवजे की राशि की गणना को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता ने मुआवजे की राशि पर ब्याज के लिए कोई राशि नहीं जोड़ी थी, मुआवजे की राशि जमा करने में देरी हुई, इस प्रकार गणना की गई मुआवजे की राशि

पर 50% जुर्माना और दुर्घटना की तारीख से वास्तविक वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया।

10. इस न्यायालय के विचारार्थ उठने वाले प्रश्न, विधि के सारवान प्रश्नों और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर दो प्रकार के हैं; (i) क्या आयुक्त द्वारा दुर्घटना की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित था; और (ii) क्या आयुक्त द्वारा गणना की गई क्षतिपूर्ति राशि पर 50% जुर्माना लगाना उचित था?

11. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, हम 1923 के अधिनियम की धारा 4ए के प्रावधानों को तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

> "4ए. देय होने पर भुगतान किया जाने वाला मुआवजा और चूक के लिए जुर्माना.-
>
> (1) धारा 4 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जायेगा।
>
> (2) जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिये दायित्व दावाकत तक प्रतिगृहीत नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उसे पर आधृत अनन्तिम संदाय करने के लिये वह आबद्ध होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने के संबंध में कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दिया जायेगा या कर्मचारी को दे दिया जायेगा।
>
> (3) जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां आयुक्त-
>
> (क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त, उस पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकत दरों से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाये, साधारण ब्याज का संदाय करेगा;
>
> (ख) यदि उसकी यह राय है कि विलंब के लिये कोई न्यायोचित नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु शास्ति के संदाय के लिये कोई आदेश, खंड (ख) के अधीन नियोजक को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा कि उसे क्यों न पारित किया जाये।।

स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रायोजनों के लिये, ''अनुसूचित बैंक'' से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं।

[(3 क) उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज और शास्ति, यथास्थिति, कर्मचारी या उसके आश्रित को संदाय की जायेगी।"

12. 1923 के अधिनियम की धारा 4 ए की उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से नियुक्तिकर्ता पर मुआवजे की राशि का भुगतान/जमा करने का दायित्व निर्धारित किया गया है, "जैसे ही यह देय हो"। मुआवजे की राशि जमा करने/भुगतान करने की बाहरी समय सीमा उपधारा 3 के तहत निर्धारित की गई है, अर्थात "देय तिथि से एक महीना"। यदि निर्धारित समय के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान/जमा नहीं किया जाता है तो अधिनियम 1923 की धारा 4 ए की उपधारा (3) के तहत ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अधिनियम 1923 की धारा 4 ए की उपधारा (3) (ए) के तहत मुआवजे की राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर न करने की स्थिति में ब्याज देना अनिवार्य कर दिया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. प्रताप नारायण देव बनाम श्रीनिवास सबाता के मामले में (1976) 1 एससीसी 289 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 4 ए (1) और (3) के तहत प्रयुक्त शब्दों अर्थात "देय हो जाता है" और "देय हो गया" पर विचार किया और निम्नानुसार माना: -

"7.....इसलिए नियुक्तिकर्ता उस दुर्घटना के कारण कामगार को हुई व्यक्तिगत चोट के तुरंत बाद मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हो गया, जो निश्चित रूप से रोजगार के दौरान हुई थी। इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि आयुक्त के 6 मई, 1969 के आदेश के बाद ही मुआवजा देय था, जो धारा 19 के तहत था। धारा यह प्रावधानित करती है कि यदि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी व्यक्ति की मुआवजा देने की क्षमता या मुआवजे की राशि या अवधि के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो समझौते के अभाव में, आयुक्त द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। इसलिए इस तर्क को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि चोट के संबंध में धारा 3 के तहत मुआवजा देने के नियुक्तिकर्ता के दायित्व को धारा 19 द्वारा परिकल्पित निपटान के बाद तक निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ता को जैसे ही उक्त व्यक्तिगत चोट लगी, वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था, और इसके विपरीत तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है।

14. **वेद प्रकाश गर्ग बनाम प्रेमी देवी और अन्य, (1997) 8 एससीसी 1** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियुक्तिकर्ता द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान में चूक किए जाने पर ब्याज का पुरस्कार स्वतः ही मिल जाता है। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सिबी जॉर्ज, (2012) 12 एससीसी 540** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज के पुरस्कार के संबंध में मुद्दे पर विचार किया है और अपने पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार माना है:-

> "8. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि धारा 4-ए की उपधारा (3) दो भागों में है, जो क्रमशः खंड (ए) और (बी) में ब्याज और दंड से अलग-अलग निपटती है। खंड (ए) मुआवजे के भुगतान में चूक के मामले में, चूक के कारणों के बारे में सवाल पर विचार किए बिना, बिना किसी विकल्प के ब्याज लगाने का प्रावधान करता है। खंड (बी) आयुक्त की राय में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले, आयुक्त को नियोक्ता को कारण बताने का उचित अवसर देना आवश्यक है। उप-धारा (3) के प्रावधानों को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्याज का भुगतान देरी के कारणों पर विचार किए बिना भुगतान में चूक का परिणाम है और यह केवल उस स्थिति में है जहां देरी औचित्य के बिना है, नियोक्ता को कारण बताने के बाद भी जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसलिए, इस आशय का निष्कर्ष कि देय राशि के भुगतान में देरी अनुचित थी, केवल जुर्माना लगाने के मामले में दर्ज किया जाना आवश्यक है और मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष आवश्यक नहीं है। ब्याज जो कि चूक होने पर लगाया जाएगा।
>
> 13. *प्रताप नारायण सिंह देव* और *वलसाला के* के निर्णयों के आलोक में, यह तर्क देना उचित नहीं है कि मुआवज़े का भुगतान आयुक्त के आदेश के बाद या दावे के लिए आवेदन करने की तिथि के संदर्भ में ही देय होगा। *मुबासिर अहमद* और *मोहम्मद नासिर* के निर्णयों में, जहाँ तक कि उन्होंने *प्रताप नारायण सिंह देव* और *वलसाला के* के पहले के निर्णयों के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, सही दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते हैं और बाध्यकारी मिसाल नहीं बनाते हैं।"

15. हाल ही में, **नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम सुजाता, (2019) 11 एससीसी 541** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है: -

> "26. अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि आयुक्त ने प्रतिवादियों को दिए गए राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया, लेकिन यह आदेश की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तारीख से 45 दिनों की समाप्ति से दिया गया था और वह भी, यदि अपीलकर्ता 45 दिनों के भीतर दिए गए राशि को जमा करने में विफल रहा।

27. दूसरे शब्दों में, यदि अपीलकर्ता ने आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर अधिनिर्णय राशि जमा कर दी होती तो प्रतिवादी अधिनिर्णय राशि पर कोई ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं था, लेकिन यदि अपीलकर्ता 45 दिनों के भीतर अधिनिर्णय राशि जमा करने में विफल रहा होता तो प्रतिवादी आदेश की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा करने का हकदार था।

28. हमारी राय में, दी गई राशि पर ब्याज देने में आयुक्त का उपर्युक्त निर्देश इस न्यायालय द्वारा *प्रताप नारायण केस* में निर्धारित कानून के विपरीत है और इसलिए कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।

30. तदनुसार तथा पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, आयुक्त के दिनांक 23-4-2002 के आदेश को प्रतिवादी के पक्ष में इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि 3,79,120 रुपए की दी गई राशि पर दुर्घटना की तिथि अर्थात 6-4-1999 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ अपीलकर्ता ने मुआवजे की राशि 1923 के अधिनियम की धारा 4ए की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अर्थात् देय होने के 30 दिनों के भीतर जमा नहीं की है। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना की तिथि अर्थात् 18.6.2013 को ही मुआवजे की राशि के हकदार हो गए थे, लेकिन अपीलकर्ता- नियुक्तिकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि पहली बार अगस्त, 2013 के बाद ही जमा की गई, वह भी गलत फोरम के समक्ष। अपीलकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि कर्मचारी मुआवजा के अंतर्गत सक्षम आयुक्त के न्यायालय के समक्ष 11.2.2014 को ही जमा की गई थी। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने मुआवजे की राशि देय होने के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, अपीलकर्ता नियोक्ता का दायित्व है कि वह गणना की गई क्षतिपूर्ति राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करे। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि आयुक्त द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से

ब्याज का निर्णय गलत है, टिकने योग्य नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाता है। हम दुर्घटना की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के निर्णय की पुष्टि करते हैं।

17. विवादित आदेश का दूसरा भाग गणना की गई क्षतिपूर्ति राशि पर 50% का जुर्माना लगाने का है। जुर्माना लगाने का प्रावधान 1923 के अधिनियम की धारा 4 ए(3)(बी) के तहत किया गया है। उपधारा (3)(बी) के प्रावधान को पढ़ने से ही यह स्पष्ट है कि जुर्माना लगाने का निर्णय आयुक्त के विवेक पर छोड़ दिया गया है। जुर्माना तभी लगाया जाएगा जब आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नियुक्तिकर्ता देरी के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यह भी स्पष्ट है कि मुआवजे की निर्धारित राशि पर जुर्माने का प्रतिशत भी तय नहीं है। प्रावधान के तहत इस्तेमाल किए गए शब्द "50% से अधिक नहीं राशि" हैं। उपर्युक्त शब्द "50% से अनधिक राशि" का उपयोग करके विधि निर्माताओं का इरादा यह है कि 50% का जुर्माना उन सभी मामलों में स्वतः नहीं लगाया जाना चाहिए जहां मुआवजे के भुगतान में चूक हुई है। जुर्माना लगाने के प्रश्न पर विचार करते समय, जो 50% से अधिक नहीं होगा, आयुक्त का दायित्व है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, दुर्घटना के बाद, अपीलकर्ता ने नियुक्तिकर्ता होने के नाते मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की स्वेच्छा से गणना की थी, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही किए बिना दिनांक 30.8.2013 को उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाया था। अपीलकर्ता की ओर से उपरोक्त कृत्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता शुरू से ही अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन में मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का इरादा रखता था। तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट को गलत फोरम के समक्ष जमा करने में त्रुटि हुई, जो मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में एक सद्भावनापूर्ण मामला प्रतीत होता है। यह भी मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने के बदले में चेक भेजा है, वास्तव में यह डिमांड ड्राफ्ट था जो बैंक में नकद राशि जमा करने के बाद ही तैयार किया गया था। आयुक्त-सह-श्रम न्यायालय-1, रायपुर द्वारा डिमांड ड्राफ्ट वापस किए जाने के बाद, अपीलकर्ता ने आवश्यकतानुसार विवरण के साथ आयुक्त को एक नया डिमांड ड्राफ्ट भेजा।

आयुक्त द्वारा ब्याज और जुर्माना लगाने की कार्यवाही अपीलकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि स्वैच्छिक रूप से जमा करने के बाद ही की गई है। कारण बताओ के जवाब में अपीलकर्ता ने तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी पता चलता है। दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, लेकिन वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं और उनके अवलोकन से पता चलता है कि एक्सिस बैंक द्वारा 30.8.2013 को डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसे पत्र दिनांक 27.9.2013 द्वारा आयुक्त, कामगार मुआवजा, आनंद नगर, रायपुर को भेजा गया था और इसे आयुक्त, रायपुर द्वारा दिनांक 7.10.2013 को वापस कर दिया गया था। अपीलकर्ता को दिनांक 4.3.2014 को नोटिस जारी किया गया था कि वह कारण बताएं कि 50% जुर्माना और 12% ब्याज क्यों न लगाया जाए, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिनांक 18.6.2013 की दुर्घटना के लिए मुआवजे की राशि 8,85,480/- रुपये 11.2.2014 को आयुक्त के समक्ष जमा कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. रिकॉर्ड पर उपलब्ध उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि मुआवज़े की राशि जमा करने में कोई देरी नहीं हुई। अगर अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलील को स्वीकार भी कर लिया जाए कि नियुक्तिकर्ता ने पहला डिमांड ड्राफ्ट 30.8.2013 को तैयार किया था, तब भी यह देय तिथि से लगभग 2½ महीने बाद था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि मुआवज़े की राशि देय तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने पर अपीलकर्ता किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं है।

20. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आयुक्त द्वारा मुआवजे की निर्धारित राशि पर 50% जुर्माना लगाना न्यायोचित था और क्या यह न्यायालय 1923 के अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपील पर विचार करते समय जुर्माने के निर्धारण में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसमें हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो।

21. 1923 के अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रयुक्त "कानून का सारवान प्रश्न" शब्दों को उसी रूप में समझना होगा जैसा कि यह सामान्य रूप से जाना जाता है। 1923 के अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपील पर विचार करते समय केवल कानून का प्रश्न, यदि कोई हो, आयुक्त द्वारा पारित आदेश/निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि यह कानून के सारवान प्रश्न के दायरे में न आए। अपीलीय न्यायालय 1923 के अधिनियम की धारा

30 के अंतर्गत अपील के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय आयुक्त के आदेश में भी हस्तक्षेप कर सकता है यदि आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या आयुक्त प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहे हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओम प्रकाश बातिश बनाम रंजीत उर्फ रणबीर कौर एवं अन्य, (2008) 12 एससीसी 212** के मामले में विकृतता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कहा था, जो इस प्रकार है;-

> "20.....पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रशंसा के क्षेत्र में प्रवेश करना अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारण से संबंधित है। यह कहना एक बात है कि कामगार प्रतिकर आयुक्त के निष्कर्ष विकृत थे और अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में वह प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा या अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया जो मुद्दे के निर्धारण के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन कोई गवाह विश्वसनीय है या नहीं, इसका विकृतता के प्रश्न के निर्धारण से कोई लेना-देना नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हैं। विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों पर विचार नहीं किया था, बल्कि केवल इस बात पर विचार किया था कि मुआवजे की राशि के भुगतान में चूक हुई है क्योंकि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान/जमा नहीं किया गया था। 1923 के अधिनियम में मुआवजे की राशि के 50% तक किसी भी राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, फिर आयुक्त के लिए यह निष्कर्ष दर्ज करना अनिवार्य था कि वह नियुक्तिकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है और इसके अलावा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 1923 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए 50% का अधिकतम जुर्माना लगाया जाना है। विवादित आदेश में आयुक्त द्वारा ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और कारण बताओ नोटिस और रिकॉर्ड पर उपलब्ध मुआवजे के वितरण के आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से मुआवजे की राशि की गणना की और उसे जमा किया, लेकिन 30 दिनों की निर्धारित अवधि से परे। नियुक्तिकर्ता ने स्वयं मुआवजे की राशि जमा करके कानून के प्रावधानों का अनुपालन किया है, इसलिए जुर्माना लगाते समय अपीलकर्ता के कृत्य को भी

ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि कानून के तहत तय नहीं है और यह 50% तक लगाया जा सकता है।

23. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ विवादित आदेश की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, जहाँ आयुक्त ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया है और न ही विवादित आदेश में उन पर चर्चा की है, बल्कि मुआवज़े की राशि के भुगतान में चूक को ध्यान में रखते हुए सीधे 50% का जुर्माना लगाया है, हमारा मानना है कि जहाँ तक विवादित आदेश 50% तक जुर्माना लगाने से संबंधित है, वह टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। यह देखते हुए कि नियुक्तिकर्ता की ओर से मुआवज़े की राशि स्वेच्छा से जमा करने में देरी हुई है, हम मुआवज़े की राशि का 25% जुर्माना लगाना उचित समझते हैं। कानून के प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

24. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आयुक्त द्वारा ब्याज के निर्णय को बरकरार रखा जाता है। मुआवज़े की राशि के 50% के स्थान पर 25% तक जुर्माना लगाया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/-
(पीआर रामचंद्र मेनन)
मुख्य न्यायमूर्ति

एसडी/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**